न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 41/2020
दायर दिनांक :– 29.06.2020

अनवान

1. रतन कंवर पत्नि रामसिंह राजपूत नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला

प्रार्थी.....

बनाम

1. गजराज सिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला
2. गल्ला कंवर पत्नि गुलाबसिंह राजपूत नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री सुनील कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 04.09.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थिया के आधिपत्य एवं मिल्कियत की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसके खाता संख्या नया 950 व पुराना 871 में आराजी नं. 3278 रकबा 0.13 है. स्थित है। उक्त आराजी को प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2014 में जरिये रजिस्टर्ड बिकाव के रामकंवर बेवा भोपाल सिंह व प्रेम कंवर, फूल कंवर पिता भोपाल सिंह से खरीद की। वक्त खरीद से उक्त आराजी काश्तकारी के काम में आती है। खरीद के पश्चात् प्रार्थिया द्वारा वर्णित आराजी के दक्षिण दिशा में गाय भैस बांधने हेतु मकान का निर्माण किया एवं वर्तमान में गाय भैसों की देखरेख के लिए प्रार्थिया उसी में निवास कर रही है। प्रार्थिया द्वारा उक्त आराजी को खरीदने के पश्चात् विपक्षीगण नं 01 जो कि प्रार्थिया का देवर है, ने जबरदस्ती प्रार्थिया के मना करने के बावजूद उक्त आराजी के उत्तरी कुछ भाग पर कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया है। प्रार्थिया द्वारा मना करने पर भी विपक्षीगण नं. 01 जो कि प्रार्थिया का देवर है एवं विपक्षीगण नं. 02 जो कि प्रार्थिया की सास है, नहीं माने, परन्तु प्रार्थिया रिश्तेदार होने के कारण बर्दाश्त करती रही, लेकिन आये दिन विपक्षीगणों द्वारा झगड़ा करने व मारपीट करने के कारण उक्त आराजी से विपक्षीगणों को हटाया जाना आवश्यक है। दिनांक 15.06.2020 को विपक्षीगण पैरा नं. 02 में वर्णित आराजी में विपक्षीगणों के द्वारा बनाये गये मकान के अलावा अन्य भाग पर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थिया एवं उसके पति द्वारा मना करने पर आमादा फौजदारी हुए। इस कारण विपक्षीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि उक्त आराजी में विपक्षीगणों द्वारा बनाये गये मकान के अलावा दौराने वाद पत्र किसी प्रकार का कब्जा नहीं करें। विपक्षीगणों प्रार्थिया

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

के स्वामित्व की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थिया को अपूर्ति योग्य क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं है। वर्णित आराजी वर्ष 2014 में जरिये रजिस्टर्ड बिकाव के रामकंवर बेवा भोपाल सिंह व प्रेम कंवर, फूल कंवर पिता भोपाल सिंह से खरीद की। वक्त खरीद से उक्त आराजी वादिया के कब्जे व उपयोग उपभोग में चली आने से प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। यदि विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थिया के स्वामित्व की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थिया को अपूर्ति योग्य क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थिया के पक्ष में व विपक्षीगणों के खिलाफ ताफैसला वाद पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि वर्णित आराजी में मकान के अलावा अन्य कृषि भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी विपक्षीगण स्वयं या अपने रिश्तेदारां व नौकरों एजेन्टों से न करें न व करावें। इस हेतु पाबन्द कराया जावे। निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद कराना फरमावें कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, न ही भूमि निजाई के हिस्से से बैदखल करे और साथ ही आराजियात का हस्तान्तरण/बिकाव/अन्तरण/हस्तगत् किसी अन्य को न करावे, तद्नुसार मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रार्थिया द्वारा वर्ष 2014 में जरिये रजिस्टर्ड बिकाव से क्रय की गई थी। खरीद के पश्चात् प्रार्थिया द्वारा वर्णित आराजी के दक्षिण दिशा में गाय भैस बांधने हेतु मकान का निर्माण किया एवं वर्तमान में गाय भैसों की देखरेख के लिए प्रार्थिया उसी में निवास कर रही है। उक्त विवादित भूमि का प्रार्थी ही खातेदार होकर प्रार्थी के ही कब्जे काश्त में है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। इस आधार पर ही प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नही हैं। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक04 .09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा
फूलियाकला (भीलवाडा)